

2025/125

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट

श्री हंसाराम भील
निवासी टांकरिया गली नं. 07 चार्ड सं. 10
लॉ कॉलेज के पीछे, सिरौही
जिला सिरौही।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार सिरौही

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 28 वर्ष 2025

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
30.06.2025	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरौही को दिनांक 01.05.2025 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि दिनांक 14.07.2020 को जो मौका फर्द अपीलांत के घर के पास बबूल के पेड के नीचे बैठकर बनाई गई थी, उस समय श्री बदाराम पटवारी मौके पर मौजूद था और अब अपीलांत के आवेदन देने पर मुकर्र रहे है। अतः यह बताना फरमावे कि दिनांक 14.07.2020 को जो मौका फर्द बनाई गई थी, उसमें किस-किस पटवारी एवं आर.आई. के हस्ताक्षर थे, उक्त मौका फर्द से सम्बन्धित सहायक सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10/- जमा करा दिए है। अपीलांत द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरौही को दिनांक 01.05.2025 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि दिनांक 14.07.2020 को जो मौका फर्द अपीलांत के घर के पास बबूल के पेड के नीचे बैठकर बनाई गई थी, उस समय श्री बदाराम पटवारी मौके पर मौजूद था और अब अपीलांत के आवेदन देने पर मुकर्र रहे है। अतः यह बताना फरमावे कि दिनांक 14.07.2020 को जो मौका फर्द बनाई गई थी, उसमें किस-किस पटवारी एवं आर.आई. के हस्ताक्षर थे, उक्त मौका फर्द से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांत द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरौही द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरौही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसिफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। निर्णय सर-ए-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">(अल्पी सोधरी) जिला कलक्टर, सिरौही</p>	